# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारी:– हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0:–84 / 2022 तारीख रजु 09.05.2022

जीसीएमएस आई0डी0:–2022 / 212

1. धर्मेन्द्र पुत्र श्री महादेवा
2. बदनसिंह पुत्र श्री महादेवा
3. रणवीर पुत्र श्री महादेवा
4. राजेन्द्र पुत्र श्री महादेवा

} जातियान जाट निवासी बरगंमा तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली

——सायलान–04

बनाम

1. नेवो सिंह पुत्र रामखिलाड़ी, जाति जाट, उम्र 50 साल, निवासी बरगमां, तहसील हिण्डौन सिटी, जिला–करौली (राज०)
2. फतेहसिंह पुत्र रामखिलाड़ी, जाति जाट, उम्र 54 साल, निवासी बरगमा, तहसील हिण्डौन सिटी, जिला–करौली (राज०)
3. अमरसिंह पुत्र रामखिलाड़ी, जाति जाट, उम्र 47 साल, निवासी बरगमा, तहसील हिण्डौनसिटी, जिला–करौली (राज०)
4. वीरेन्द्र पुत्र स्व० भगवानसिंह, जाति जाट, उम्र 30 साल, निवासी बरगमां, तहसील हिण्डौनसिटी, जिला–करौली (राज०)
5. विरमा देवी पत्नी स्व० भगवानसिंह, जाति जाट, उम्र–60 साल, निवासी बरगमां, तहसील हिण्डौनसिटी, जिला–करौली (राज०)
6. ओमप्रकाश उर्फ उपेन्दर पुत्र श्यामलाल, जाति जाट, उम्र 35 साल. निवासी बरगमां, तहसील हिण्डौनसिटी, जिला–करौली (राज०)

——गैरसायलान–06

## प्रार्थना पत्र बावत् अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति:–1. श्री पी एल गोयल वकील सायलान
2. गैरसायलान विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

**निर्णय** **दिनांक**

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिये वकील वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर 958 रकवा एयर स्थित ग्राम बरगमां तहसील हिण्डौन है. जिसके एकमात्र खातेदार काश्तकार सायलान हैं तथा उपरोक्त आराजी पर सायलान काबिज व दखील होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। आराजी मुतजिक्रा मद नम्बर 02 प्रार्थना पत्र से गैरसायलान [illegible] किसी व्यक्ति का कोई वास्ता किसी प्रकार का नहीं है. [illegible] व लड़ाक किस्म के लोग है, जो आए दिन लोगों की भूमि पर [illegible]रन लट्ठ के बल पर [illegible] करने की फिराक में रहते हैं तथा ये लोग सायलान की उक्त खातेदारी की भूमि पर भी कब्जा करने की फिराक में हैं, जिसके लिये ये लोग आए दिन सायलान को हैरान व परेशान करते रहते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:59:40 IST
Reason: SelfAttested

वाका दिनांक 01.05.2022 को दिन के करीब 10 बजे का है कि सायलान अपनी भूमि पर बैठे हुए थे कि इतने में ही गैरसायलान एकराय होकर मौके पर आये और सायलान से कहा कि इस जमीन से भाग जाओ, इस पर हम कब्जा करेंगे। जिस पर सायलान ने कहा कि यह जमीन तो हमारी खातेदारी की भूमि है, जिससे तुम्हारा कोई वास्ता किसी प्रकार का नहीं है, तो इतने में ही सभी गैरसायलान नाराज हो गये और कहा कि हमारे तो लट्ठ में जोर है और हम तुम्हें बेदखल कर इस जमीन पर कब्जा करके रहेंगे, तुमसे बने जो कर लेना, आइन्दा जमीन पर दिखाई दिये तो तुम्हारे हाथ–पांव तोड़ देंगे। अगर गैरसायलान अपने उक्त नापाका इरादों में सफल हो गये तो सायलान को अत्यधिक क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार से सम्भव नहीं हो सकेगी। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्ट्या केस बखूबी साबित है। सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु भी सायलान के हक में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को दौराने दावा अस्थायी निषेधाज्ञा से इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि वह सायलान को आराजी खसरा नम्बर 958 रकवा 8 एयर स्थित ग्राम बरगमां तहसील हिण्डौन से जबरन लट्ठ के बल पर बेदखल कर कब्जा नहीं करें और ना किसी अन्य से करावें और ना ही उक्त आराजी में सायलान के कब्जेकाश्त में कोई मजाहमत मदालखत न तो स्वयं पैदा करें, ना किसी अन्य से करावें तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करें, जिससे उक्त आराजी में सायलान के हक हकूक व अधिकारों व उपयोग उपभोग में कोई व्यवधान किसी प्रकार का पैदा हो तथा सायलान को उक्त भूमि का शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग करने देवें। मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान 1 ता 6 की ओर से श्री सुगर सिंह अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। गैरसायलान को जवाब पेश करने के कई अवसर दिये जाने के बाबजूद जबाब पेश नहीं किया, अतः दिनांक 17.02.2025 से जबाब बंद किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:59:40 IST
Reason: SelfAttested

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2073–76 खाता संख्या 484 वाके ग्राम बंरगमा तहसील श्रीमहावीरजी पेश किये है।

सायलान वकील उपस्थित। गैरसायलान व गैरसायलान वकील अनुपस्थित प्रकरण में सायलान वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कहा गया कि दौराने दावा गैरसायलान को दौराने दावा अस्थायी निषेधाज्ञा से इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि वह सायलान को आराजी खसरा नम्बर 958 रकवा 8 एयर स्थित ग्राम बरगमां तहसील हिण्डौन से जबरन लट्ठ के बल पर बेदखल कर कब्जा नहीं करें और ना किसी अन्य से करावें और ना ही उक्त आराजी में सायलान के कब्जेकाश्त में कोई मजाहमत मदालखत न तो स्वयं पैदा करें, ना किसी अन्य से करावें तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करें, जिससे उक्त आराजी में सायलान के हक हकूक व अधिकारों व उपयोग उपभोग में कोई व्यवधान किसी प्रकार का पैदा हो तथा सायलान को उक्त भूमि का शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग करने देवें। मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये निवेदन किया।

प्रकरण में एकपक्षीय वकील की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी संवत 2073–76 खाता संख्या 484 वाके ग्राम बंरगमा तहसील श्रीमहावीरजी में सायलान खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है, गैरसायलान का विवादित आराजीयात से कोई लेना देना नहीं है। इसलिये सायलान की दौराने दावा पेचिदगियॉ पैदा नहीं हों, मौके एवं रिकॉर्ड की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए एवं सायलान के पक्ष में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति होना साबित होता है अतः सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र सायलान खिलाफ गैरसायलान बाबत राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रकरण में दिनांक 09.05.2022 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नं0 958 वाके ग्राम बरगमा तहसील श्रीमहावीरजी में रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति ताफैसला बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:59:40 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 27/3/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन